

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

बिनय शर्मा उर्फ बिनय कुमार शर्मा

बनाम

रुही शर्मा

2021 का विविध अपील सं. 402

30 जून, 2025

(माननीय न्यायमूर्ति श्री पी. बी. भजंत्री एवं

माननीय न्यायमूर्ति श्री एस. बी. प्रसाद सिंह)

विचार के लिए मुद्दा

क्या परिवार न्यायालय द्वारा क्रूरता और परित्याग के आधार पर दी गई तलाक की डिक्री में हस्तक्षेप की आवश्यकता है?

हेडनोट्स

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955- धारा 13(1)(i-a) और 25- तलाक- पक्षकारों के बीच लंबा अलगाव और वैवाहिक बंधन वस्तुतः सुधार से परे है- जब अपीलकर्ता/पति ने अधिनियम, 1955 की धारा 9 के तहत याचिका दायर की, तब प्रतिवादी/पत्नी ने क्रूरता और परित्याग के आधार पर विवाह विच्छेद के लिए मामला दायर किया- विद्वान परिवार न्यायालय ने पक्षकारों के बीच विवाह विच्छेद का आदेश पारित करके सही किया है- अपीलकर्ता और प्रतिवादी के बीच विवाह विच्छेद हो गया- अपीलकर्ता को प्रतिवादी को स्थायी गुजारा भत्ता के रूप में 15,00,000/-(पंद्रह लाख) रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया- न तो अपीलकर्ता और न ही प्रतिवादी ने अपनी संपत्ति और देनदारियों का विवरण रिकॉर्ड पर लाया है।

निर्णीत: तलाक का आदेश देते समय, पक्षों की संपत्ति और देनदारियों का आकलन किए बिना, विद्वान परिवार न्यायालय ने स्थायी गुजारा भत्ते के रूप में प्रतिवादी को 15,00,000/- (पंद्रह लाख) रुपये देने का फैसला सुनाया है - रखरखाव की राशि प्रत्येक मामले के लिए व्यक्तिपरक है और विभिन्न परिस्थितियों और कारकों पर निर्भर करती है - अदालत को दोनों पक्षों की आय जैसे कारकों पर गौर करने की जरूरत है; विवाह के अस्तित्व के दौरान आचरण; उनकी व्यक्तिगत सामाजिक और वित्तीय स्थिति; प्रत्येक पक्ष के व्यक्तिगत खर्च; अपने आश्रितों को बनाए रखने के लिए उनकी व्यक्तिगत क्षमता और कर्तव्य; विवाह के अस्तित्व के दौरान पत्नी द्वारा प्राप्त जीवन की गुणवत्ता; विवाह की अवधि और ऐसे अन्य समान कारक - एक कमजोर तरीके से, प्रतिवादी को 15 लाख रुपये का स्थायी गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया गया था, जो कानून की नजर में टिकने योग्य नहीं है - मामले को केवल स्थायी गुजारा भत्ते की राशि तय करने के संबंध में विद्वान प्रधान न्यायाधीश को वापस भेज दिया गया था - अपील का निपटारा किया गया।

(पैराग्राफ 16 से 19, 25 और 26)

न्याय दृष्टान्त

रजनेश बनाम नेहा, (2021) 2 एससीसी 324; अदिति @ मीठी बनाम जितेश शर्मा, (2023) एससीसी ऑनलाइन एससी 1451; प्रवीण कुमार जैन बनाम अंजू जैन, 2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 3678—पर **भरोसा किया गया।**

जगदीश सिंह बनाम माधुरी देवी, (2008) 10 एससीसी 497; जॉयदीप मजूमदार बनाम भारती जयसवाल मजूमदार, (2021) 2 आरसीआर (सिविल)

289; समर घोष बनाम जया घोष, (2007) 4 एससीसी 511—संदर्भित किया गया।

अधिनियमों की सूची

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955

मुख्य शब्दों की सूची

वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना; स्थायी गुजारा भत्ता; विवाह विच्छेद; क्रूरता और परित्याग; तलाक।

प्रकरण से उत्पन्न

वैवाहिक वाद संख्या 207/2017 में विद्वान प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, भागलपुर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.03.2021 से।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ता की ओर से: श्री डॉ. मनोज कुमार, अधिवक्ता

प्रतिवादी की ओर से: श्री रवि भूषण, अधिवक्ता

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: आभाष चंद्र, अधिवक्ता

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

**पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
2021 का विविध अपील सं. 402**

=====

बिनय शर्मा उर्फ बिनय कुमार शर्मा पिता स्वर्गीय नारायण प्रसाद शरणा,
निवासी दीना साह लेन मुंदीचक, तिलकामांझी, जिला- भागलपुर।

... ..अपीलकर्ता/ओं

बनाम

रूही शर्मा पिता बिनोद शर्मा निवासी मोहल्ला- चुरिहारी टोला, थाना- आदमपुर,
जिला- भागलपुर।

... ..उत्तरवादी/ओं

=====

उपस्थिति:

अपीलकर्ता/ओं की ओर से : श्री डॉ. मनोज कुमार

उत्तरवादी/ओं की ओर से : श्री रवि भूषण

=====कोर

म: माननीय न्यायमूर्ति श्री पी. बी. भजंत्री

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री एस. बी. प्रसाद सिंह

सीएवी निर्णय

(प्रति: माननीय न्यायमूर्ति श्री एस. बी. प्रसाद सिंह)

दिनांक : 30-06-2025

पक्षों की सुनवाई की गई।

2. अपीलकर्ता ने इस अपील में विद्वान प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय , भागलपुर द्वारा वैवाहिक वाद संख्या 207/2017 में पारित दिनांक 26.03.2021 के निर्णय और डिक्री के विरुद्ध आवेदन किया है, जिसके तहत प्रतिवादी-पत्नी (रुचि शर्मा) द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (संक्षेप में '1955 अधिनियम') की धारा 13(1)(i-ए) के तहत तलाक की डिक्री द्वारा विवाह विच्छेद की मांग करते हुए दायर याचिका को स्वीकार कर लिया

गया है और अपीलकर्ता को स्थायी गुजारा भत्ता के रूप में 15,00,000/-(पंद्रह लाख) रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है।

3. संक्षेप में, अपीलकर्ता का विवाह प्रतिवादी के साथ 29 जनवरी, 2016 को हिंदू रीति-रिवाजों और समारोहों के अनुसार संपन्न हुआ था। विवाह विधिवत संपन्न हुआ था; हालाँकि, इस विवाह से कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई।

4. प्रतिवादी-पत्नी ने 1955 अधिनियम की धारा 13 (1) (आई-ए) के तहत अपनी याचिका में दलील दी कि उसका विवाह अपीलकर्ता के साथ 29.01.2016 को हुआ था, जिसमें उसके माता-पिता ने 10-11 लाख रुपये खर्च किए थे। शादी के बाद प्रतिवादी 30.1.2016 को अपीलकर्ता के घर गया, लेकिन अपीलकर्ता ने सामान्य यौन संबंध स्थापित करने के बजाय अप्राकृतिक यौन अत्याचार करना शुरू कर दिया और विरोध करने पर अपीलकर्ता ने उसके साथ मारपीट और दुर्व्यवहार किया। अपीलकर्ता, उसकी मां, भाई और *भाभी* ने प्रतिवादी को 3 लाख रुपये नकद, मोटर साइकिल, इन्वर्टर आदि दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। अपीलकर्ता ने प्रतिवादी की नग्न अवस्था में उसके अप्राकृतिक यौन संबंध की वीडियोग्राफी भी तैयार की, जिसके कारण प्रतिवादी 13.06.2016 को अपीलकर्ता का घर छोड़कर अपने मायके आ गई। इसके बाद प्रतिवादी ने 16.6.2016 को भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए, 377 और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत अपीलकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ शिकायत मामला संख्या 1030/2016 दर्ज कराया, जिसमें संज्ञान लिया गया। यह भी आरोप लगाया गया है कि शिकायत दर्ज कराने के बाद अपीलकर्ता अपने भाई और दो अन्य व्यक्तियों के साथ प्रतिवादी के पैतृक घर पहुंचा और केस वापस लेने की धमकी दी, जिसके

लिए 24.07.2016 को भारतीय दंड संहिता की धारा 341, 447, 323, 504, 506, 34 के तहत कोतवाली (आदमपुर) थाना कांड संख्या 353/16 दर्ज किया गया था। अपीलकर्ता ने अपनी रंजिश बचाने के लिए 2016 में शिकायत संख्या 1457 भी दर्ज कराई, जिसे पुलिस थाने में भेजा गया और तदनुसार कोतवाली (तिलकामांझी) थाना में मामला दर्ज किया गया। भारतीय दंड संहिता की धारा 364, 447, 341, 323, 504, 380, 120(बी) तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत 2017 का मामला संख्या 80 दर्ज किया गया था, जिसमें पुलिस ने जांच के बाद अंतिम प्रपत्र प्रस्तुत किया तथा प्रतिवादी के पक्ष में मामला सत्य नहीं पाया। प्रतिवादी अपीलकर्ता द्वारा किए गए अत्याचारों से तंग आकर व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए पुणे चली गई, लेकिन अपीलकर्ता वहां भी पहुंच गया तथा उसने उसके साथ मारपीट की तथा मामला वापस लेने की धमकी दी। अपीलकर्ता तथा प्रतिवादी के बीच वैवाहिक संबंध पहले ही पूरी तरह से टूट चुके हैं तथा उनके वैवाहिक जीवन की बहाली की कोई उम्मीद नहीं है।

5. अपीलकर्ता-पति ने उपस्थित होकर अपना लिखित बयान दर्ज कराया तथा प्रस्तुत किया कि यह मामला खारिज किए जाने योग्य है, क्योंकि यह न तो कानून की दृष्टि में और न ही तथ्यों के आधार पर बनाए रखने योग्य है। यह दलील दी गई है कि प्रतिवादी को विम्मी शर्मा ने गुमराह किया है, जिसने उसे गोद लिया है। विम्मी शर्मा ने अनुचित लाभ उठाने तथा अपीलकर्ता की पूरी संपत्ति हड़पने के लिए प्रतिवादी के साथ विवाह तय किया है। विवाह का सारा खर्च अपीलकर्ता के परिवार के सदस्यों द्वारा वहन किया गया। इतना ही नहीं, अपीलकर्ता की मां ने प्रतिवादी को 10 लाख रुपये के आभूषण भेंट किए थे, जिन्हें विम्मी शर्मा ने रख लिया। अपीलकर्ता ने वैवाहिक

अधिकारों की बहाली के लिए हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के तहत वैवाहिक मामला संख्या 289/2016 पहले ही दायर कर रखा है तथा उसके बाद प्रतिवादी द्वारा तलाक के लिए वर्तमान मुकदमा दायर किया गया है। प्रतिवादी बहुत महत्वाकांक्षी महिला है और उसने कभी भी अपने पति और ससुराल वालों को शुभकामनाएं नहीं दीं। प्रतिवादी ने अपनी सास पर भी कई बार हमला किया और संपत्ति अपने नाम पर स्थानांतरित करने की धमकी दी। अपीलकर्ता ने कभी भी धमकी नहीं दी, न ही ससुराल वालों के परिवार के किसी सदस्य के साथ बुरा व्यवहार किया, न ही अपमानित किया और न ही झगड़ा किया और अपीलकर्ता-पति के खिलाफ लगाए गए सभी आरोप उससे तलाक लेने के इरादे से झूठे हैं। अतः तलाक याचिका खारिज की जाने योग्य है।

6. सुनवाई पूरी होने के बाद विद्वान प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय , भागलपुर ने माना कि प्रतिवादी-रूही शर्मा तलाक के आदेश के साथ-साथ स्थायी गुजारा भत्ता पाने की हकदार है। अतः अपीलकर्ता और प्रतिवादी के बीच विवाह विच्छेद कर दिया गया और अपीलकर्ता-पति को आदेश पारित होने के दो महीने के भीतर प्रतिवादी-पत्नी को स्थायी गुजारा भत्ता के रूप में 15,00,000/-(पंद्रह लाख) रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया गया। विद्वान परिवार न्यायालय के उक्त निर्णय से व्यथित अपीलकर्ता-पति ने इस न्यायालय के समक्ष तत्काल अपील दायर की।

7. तलाक क्रूरता और परित्याग के आधार पर दिया गया है। आरोपित निर्णय के अवलोकन से पता चलता है कि क्रूरता और परित्याग के निम्नलिखित कृत्यों पर परिवार न्यायालय द्वारा विचार किया गया, जैसा कि साबित हुआ:-

क) क्रूरता:

(i) मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि दंपति की शादी करीब पांच साल पहले हुई थी। शादी 29.01.2016 को हुई थी और वे 13.06.2016 से अलग रह रहे हैं।

(ii) बेशक, दोनों पक्ष 13.06.2016 को अलग हो गए और वे एक-दूसरे के खिलाफ मामला दर्ज करने में लगे हुए थे क्योंकि प्रतिवादी-पत्नी ने शिकायत मामला संख्या 1030/2016, कोतवाली (आदमपुर) पी.एस. मामला क्रमांक 353/16 जबकि अपीलकर्ता पति ने कोतवाली में (तिलकामांझी) पी.एस. 2017 का केस नंबर 80 मामला दर्ज कराया है।

(iii) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने "जगबीर सिंह बनाम निशा", (2015) 9 आरसीआर (सिविल) 873, "ऋषिपाल बनाम लक्ष्मी" में देवी", (2009) 4 आरसीआर (सिविल) 811, "धर्मपाल बनाम श्रीमती पुष्पा देवी", 2004 आरसीआर (सिविल) 717, "मेजर आशीष पूनिया श्रीमती नीलिमा पूनिया"; "मंगयाकरासी बनाम एम. युवराज" (2020) 3 एससीसी 786, "के. श्रीनिवास राव बनाम डी.ए. दीपा", (2013) 5 एससीसी 226 और "के. श्रीनिवास बनाम के. सुनीता" (2014) 16 एससीसी 34, में यह माना गया है कि पति या पत्नी या उसके रिश्तेदारों के खिलाफ निराधार आरोप लगाना और झूठी शिकायतें दर्ज करना दूसरे पति या पत्नी के प्रति क्रूरता के बराबर है और माना कि अपीलकर्ता द्वारा दायर आपराधिक मामले में प्रतिवादी-पति और उसकी मां को बरी करना वास्तव में यह दर्शाता है कि प्रतिवादी-पति ने वास्तव में अपीलकर्ता-पत्नी के हाथों वैवाहिक क्रूरता का सामना किया है।

(v) परिवार न्यायालय ने देखा कि युगल लगभग पांच वर्षों से अलग रह रहे हैं और इस लंबे अलगाव ने वास्तव में उन्हें ऐसी स्थिति में डाल दिया है कि वैवाहिक बंधन मरम्मत से परे टूट गया है। यह भी पाया गया कि दम्पति के साथ रहने की कोई संभावना नहीं है और ऐसा विवाह अब अव्यवहारिक है तथा यदि इसे जारी रहने दिया गया तो यह पक्षकारों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है।

8. तदनुसार, यह निष्कर्ष निकाला गया कि प्रतिवादी-पत्नी क्रूरता का आधार साबित करने में सक्षम रही है।

ख) परित्याग:

(i) परिवार न्यायालय ने पाया कि प्रतिवादी-पत्नी ने 13.06.2016 को अपना वैवाहिक घर छोड़ दिया तथा तब से वे अलग-अलग रह रहे हैं। प्रतिवादी-पत्नी की ओर से अपीलकर्ता-पति के पास लौटने का कोई प्रयास नहीं किया गया। यद्यपि अपीलकर्ता-पति ने वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के तहत याचिका दायर की है, लेकिन उसके सभी प्रयास व्यर्थ हो गए क्योंकि प्रतिवादी-पत्नी अपीलकर्ता के साथ रहने के लिए सहमत नहीं थी।

(ii) यह निष्कर्ष निकाला गया कि प्रतिवादी-पत्नी ने संबंध को स्थायी रूप से समाप्त कर दिया है और अपीलकर्ता-पति के साथ नहीं जुड़ी है। उसने वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए 1955 अधिनियम की धारा 9 के तहत कोई मामला दर्ज नहीं किया है। इसलिए, यह स्पष्ट है कि अलगाव का तथ्य, सहवास को स्थायी रूप से समाप्त करने का इरादा, यह स्थापित करता है कि प्रतिवादी ने अपीलकर्ता को दो साल से अधिक की अवधि के लिए लगातार छोड़ दिया है।

9. उपरोक्त परिस्थितियों में, इस न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपील दायर की गई है।

10. अपीलकर्ता-पति के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि विद्वान परिवार न्यायालय ने प्रतिवादी-पत्नी द्वारा दायर तलाक याचिका को अनुमति देने में कानून और तथ्यों में गलती की है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि तलाक का मामला दायर करने से बहुत पहले, अपीलकर्ता-पति ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के तहत वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए प्रतिवादी-पत्नी के खिलाफ वैवाहिक मुकदमा संख्या 289/2016 दायर किया था और उक्त मामले के बारे में पता चलने पर, प्रतिवादी ने तलाक के आदेश के लिए वैवाहिक मुकदमा संख्या 207/2017 दायर किया है। अपीलकर्ता ने आगे प्रस्तुत किया है कि वैवाहिक मामला संख्या 207/2017 के लंबित रहने के दौरान प्रतिवादी-पत्नी ने 10.07.2019 को अवधेश कुमार झा नामक व्यक्ति से दूसरी शादी कर ली है। इसलिए, वह गुजारा भत्ते के रूप में अपीलकर्ता से एक पैसा पाने की हकदार नहीं है।

11. हमने अपीलकर्ता के विद्वान वकील को सुना है और पेपर-बुक के साथ-साथ विवादित फैसले का भी अवलोकन किया है।

12. इस न्यायालय के समक्ष विचारार्थ निम्नलिखित प्रश्न उठता है: "क्या परिवार न्यायालय द्वारा क्रूरता और परित्याग के आधार पर दिए गए तलाक के आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता है?"

13. "जगदीश सिंह बनाम माधुरी देवी", (2008) 10 एससीसी 497 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप के दायरे पर विचार करते हुए, निम्नानुसार टिप्पणी की:-

"24. इसमें कोई संदेह नहीं है कि उच्च न्यायालय प्रथम अपीलीय न्यायालय के रूप में अपनी शक्ति का प्रयोग कर रहा था और इसलिए न्यायालय के लिए न केवल कानून के प्रश्नों बल्कि तथ्य के प्रश्नों पर भी विचार करना खुला था। यह स्थापित कानून है कि अपील मुकदमे की निरंतरता है। इस प्रकार अपील मुख्य मामले की पुनः सुनवाई है और अपीलीय न्यायालय "मौखिक और साथ ही दस्तावेजी" संपूर्ण साक्ष्य का पुनः मूल्यांकन, पुनः मूल्यांकन और समीक्षा कर सकता है और अपने निष्कर्ष पर पहुँच सकता है।

25. साथ ही, अपीलीय न्यायालय से अपेक्षा की जाती है, बल्कि बाध्यता भी है कि वह मौखिक साक्ष्य पर ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष को ध्यान में रखे। उसे यह नहीं भूलना चाहिए कि ट्रायल कोर्ट ने मौखिक साक्ष्य पर दर्ज किए गए निष्कर्ष को ध्यान में रखा था। गवाहों के व्यवहार को देखने का एक लाभ और अवसर है और इसलिए, ट्रायल कोर्ट के निष्कर्षों को सामान्य रूप से विचलित नहीं किया जाना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपीलीय न्यायालय के पास मूल न्यायालय के समान ही शक्तियाँ हैं, लेकिन उन्हें उचित देखभाल, सतर्कता और सावधानी के साथ प्रयोग किया जाना चाहिए। जब ट्रायल कोर्ट द्वारा मुख्य रूप से मौखिक साक्ष्य की सराहना के आधार पर तथ्य का निष्कर्ष दर्ज किया गया है, तो इसे हल्के में नहीं बदला जाना चाहिए जब तक कि साक्ष्य के मूल्यांकन में विचारण न्यायालय का दृष्टिकोण त्रुटिपूर्ण, कानून के सुस्थापित सिद्धांतों के विपरीत या अनुचित न हो..."

14. इसके अलावा, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 (1) (i-ए) के अर्थ के भीतर क्रूरता की अवधारणा को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा "जॉयदीप मजूमदार बनाम भारती जायसवाल मजूमदार", (2021) 2 आरसीआर (सिविल) 289, के मामले में समझाया गया है, नीचे:

"10. मानसिक क्रूरता का आरोप लगाने वाले जीवनसाथी के कहने पर विवाह विच्छेद पर विचार करने के लिए, ऐसी मानसिक क्रूरता का परिणाम ऐसा होना चाहिए कि वैवाहिक संबंध जारी रखना संभव न हो। दूसरे शब्दों में, पीड़ित पक्ष से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह ऐसे आचरण को अनदेखा करे और अपने जीवनसाथी के साथ रहना जारी रखे। सहनशीलता की डिग्री एक जोड़े से दूसरे जोड़े में अलग-अलग होगी और न्यायालय को पृष्ठभूमि, शिक्षा के स्तर और पक्षों की स्थिति को भी ध्यान में रखना होगा, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि पीड़ित पक्ष के कहने पर कथित क्रूरता विवाह विच्छेद को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त है या नहीं..."

15. "समर घोष बनाम जया घोष", (2007) 4 एस.सी.सी. 511 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे उदाहरणात्मक मामले दिए हैं, जिनमें मानसिक क्रूरता का अनुमान लगाया जा सकता है, जबकि इस बात पर जोर दिया गया है कि कोई समान मानक निर्धारित नहीं किया जा सकता है और प्रत्येक मामले का निर्णय उसके अपने तथ्यों के आधार पर किया जाना चाहिए।

"85. मार्गदर्शन के लिए कभी भी कोई समान मानक निर्धारित नहीं किया जा सकता है, फिर भी हम मानवीय व्यवहार के कुछ उदाहरणों को सूचीबद्ध करना उचित समझते हैं जो

'मानसिक क्रूरता' के मामलों से निपटने में प्रासंगिक हो सकते हैं। आगे के पैराग्राफ में दर्शाए गए उदाहरण केवल उदाहरणात्मक हैं और संपूर्ण नहीं हैं।

(i) पक्षों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन पर विचार करने पर, तीव्र मानसिक पीड़ा, वेदना और पीड़ा जो पक्षों के लिए एक-दूसरे के साथ रहना संभव नहीं बनाती है, मानसिक क्रूरता के व्यापक मापदंडों के अंतर्गत आ सकती है।

(ii) पक्षों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन के व्यापक मूल्यांकन पर, यह पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि स्थिति ऐसी है कि पीड़ित पक्ष को इस तरह के आचरण को सहन करने और दूसरे पक्ष के साथ रहना जारी रखने के लिए उचित रूप से नहीं कहा जा सकता है।

(iii) केवल ठंडापन या स्नेह की कमी क्रूरता, भाषा की लगातार अशिष्टता, व्यवहार में चिड़चिड़ापन, उदासीनता और उपेक्षा नहीं हो सकती है।

(iv) मानसिक क्रूरता एक मानसिक स्थिति है। एक पति या पत्नी में दूसरे के आचरण के कारण लंबे समय तक गहरी पीड़ा, निराशा, हताशा की भावना मानसिक क्रूरता का कारण बन सकती है।

(v) पति या पत्नी के जीवन को यातना देने, असुविधा पहुँचाने या दुखी करने के लिए अपमानजनक और अपमानजनक व्यवहार का निरंतर क्रम।

(vi) एक पति या पत्नी का अनुचित आचरण और व्यवहार वास्तव में दूसरे पति या पत्नी के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। शिकायत किया गया व्यवहार और

परिणामी खतरा या आशंका बहुत गंभीर, पर्याप्त और भारी होनी चाहिए।

(vii) निरंतर निंदनीय आचरण, उपेक्षा, उदासीनता या वैवाहिक दयालुता के सामान्य मानक से पूरी तरह से विचलन मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाना या परपीड़क आनंद प्राप्त करना भी मानसिक क्रूरता के अंतर्गत आ सकता है।

(viii) आचरण ईर्ष्या, स्वार्थ, अधिकार जताने की भावना से कहीं अधिक होना चाहिए, जिससे दुख और असंतोष तथा भावनात्मक परेशानी हो, मानसिक क्रूरता के आधार पर तलाक देने का आधार नहीं हो सकता।

(ix) केवल छोटी-मोटी चिड़चिड़ाहट, झगड़े, विवाहित जीवन में सामान्य टूट-फूट जो कि दिन-प्रतिदिन होती रहती है, मानसिक क्रूरता के आधार पर तलाक देने के लिए पर्याप्त नहीं होगी।

(x) विवाहित जीवन की समग्र समीक्षा की जानी चाहिए तथा वर्षों की अवधि में कुछ अलग-थलग घटनाओं को क्रूरता नहीं माना जाएगा। दुर्व्यवहार काफी लंबी अवधि तक जारी रहना चाहिए, जहां संबंध इस हद तक खराब हो गया हो कि पति या पत्नी के कार्यों और व्यवहार के कारण पीड़ित पक्ष को दूसरे पक्ष के साथ रहना बेहद मुश्किल लगता हो, मानसिक क्रूरता मानी जा सकती है।

(xi) यदि पति बिना चिकित्सीय कारणों और अपनी पत्नी की सहमति या जानकारी के नसबंदी ऑपरेशन करवाता है और इसी प्रकार यदि पत्नी बिना चिकित्सीय कारण या अपने पति की सहमति या जानकारी के नसबंदी या गर्भपात करवाती है, तो पति या पत्नी का ऐसा कृत्य मानसिक क्रूरता का कारण बन सकता है।

(xii) बिना किसी शारीरिक अक्षमता या वैध कारण के काफी समय तक संभोग करने से इनकार करने का एकतरफा निर्णय मानसिक क्रूरता के बराबर हो सकता है।

(xiii) विवाह के बाद पति या पत्नी में से किसी एक का विवाह से बच्चा न करने का एकतरफा निर्णय क्रूरता के बराबर हो सकता है।

(xiv) जहां निरंतर अलगाव की एक लंबी अवधि रही है, यह उचित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वैवाहिक बंधन सुधार से परे है। विवाह एक काल्पनिक बात बन जाती है, हालांकि एक कानूनी बंधन द्वारा समर्थित है। उस बंधन को तोड़ने से इनकार करने से, ऐसे मामलों में कानून, विवाह की पवित्रता की सेवा नहीं करता है; इसके विपरीत, यह पक्षों की भावनाओं और भावनाओं के लिए बहुत कम सम्मान दिखाता है। ऐसी स्थितियों में, यह मानसिक क्रूरता का कारण बन सकता है।...

16. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त सिद्धांत के आधार पर जब हम पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों के आलोक में वर्तमान मामले की जांच करते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि पक्षकारों के बीच लंबे समय से अलगाव है और वैवाहिकबंधन लगभग अपूरणीय है। और ऐसी स्थिति में, यदि तलाक नहीं दिया जाता है, तो यह विवाह की पवित्रता को नष्ट कर देगा। अपीलकर्ता-पति ने विद्वान प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय के समक्ष एक याचिका भी दायर की है कि यदि विवाह विच्छेद का आदेश प्रतिवादी-पत्नी के पक्ष में पारित किया जाता है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। अपीलकर्ता के उपरोक्त कथन का उल्लेख ट्रायल कोर्ट के दिनांक 12.01.2021 के आदेश में भी मिलता है। अपीलकर्ता ने इस न्यायालय के समक्ष अपने

अपील ज्ञापन के पैरा 11 में यह भी कहा है कि उसने एक याचिका दायर की है कि तलाक का आदेश प्रतिवादी-पत्नी के पक्ष में पारित किया जाए। प्रतिवादी का।

17. पूर्वगामी चर्चा के मददेनजर, हम निष्कर्ष निकालते हैं कि प्रतिवादी-पत्नी ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(i-ए) में उल्लिखित आधार पर विवाह विच्छेद की डिक्री देने का आधार बनाया है।"

18. समग्र परिस्थितियों पर विचार करते हुए, हमारे सुविचारित मत में, विद्वान परिवार न्यायालय ने पक्षकारों के बीच विवाह विच्छेद का निर्णय सही रूप से पारित किया है और हम कोई कारण नहीं देखते कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए निष्कर्षों को बरकरार क्यों नहीं रखा जाना चाहिए।

19. इस आदेश से विदा लेने से पहले, यह कहना उचित होगा कि तलाक का आदेश देते समय, पक्षकारों की संपत्ति और देनदारियों का आकलन किए बिना, विद्वान परिवार न्यायालय ने प्रतिवादी-पत्नी को स्थायी गुजारा भत्ता के रूप में 15,00,000/- (पंद्रह लाख) रुपये दिए हैं, क्योंकि न तो अपीलकर्ता और न ही प्रतिवादी ने अपनी संपत्ति और देनदारियों का विवरण दाखिल किया है और न ही विद्वान प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय द्वारा प्रतिवादी-पत्नी के पक्ष में 15 लाख रुपये का स्थायी गुजारा भत्ता देते समय इसकी आवश्यकता थी।

20. इस न्यायालय ने दिनांक 10.02.2025 के आदेश के तहत दोनों पक्षों को अपनी संपत्ति और देनदारियों का विवरण दाखिल करने का निर्देश दिया था। दिनांक 02.05.2025 के कार्यालय नोट से पता चलता है कि

न तो अपीलकर्ता और न ही प्रतिवादी ने अपनी संपत्ति और देनदारियों का विवरण अभिलेख पर लाया है।

21. यहां 1955 के अधिनियम की धारा 25 का संदर्भ देना उपयोगी है, जो इस प्रकार है:

"धारा 25. स्थायी गुजारा भत्ता और भरण-पोषण: (1)

इस अधिनियम के तहत अधिकारिता का प्रयोग करने वाला कोई भी न्यायालय, कोई भी डिक्री पारित करते समय या उसके बाद किसी भी समय, पत्नी या पति द्वारा इस प्रयोजन के लिए किए गए आवेदन पर, जैसा भी मामला हो, आदेश दे सकता है कि प्रतिवादी अपीलकर्ता को उसके भरण-पोषण और भरण-पोषण के लिए ऐसी सकल राशि या ऐसी मासिक या आवधिक राशि का भुगतान करेगा जो आवेदक के जीवन काल से अधिक न हो, जो प्रतिवादी की अपनी आय और अन्य संपत्ति, यदि कोई हो, आवेदक की आय और अन्य संपत्ति (पक्षकारों का आचरण और मामले की अन्य परिस्थितियों) को ध्यान में रखते हुए न्यायालय को न्यायोचित लगे, और ऐसा कोई भी भुगतान, यदि आवश्यक हो, प्रतिवादी की अचल संपत्ति पर भार लगाकर सुरक्षित किया जा सकता है।"

22. 1955 के अधिनियम की धारा 25 में प्रयुक्त भाषा के आलोक में, यह स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत दावा, पति या पत्नी की अपनी आय या अन्य संपत्ति के बारे में सभी विवरण प्रस्तुत करने वाले आवेदन पर किया जाना चाहिए। इसके अलावा, दूसरे पक्ष को अपना बचाव प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना चाहिए।

23. भरण-पोषण की मात्रा प्रत्येक मामले के लिए व्यक्तिपरक है और विभिन्न परिस्थितियों और कारकों पर निर्भर करती है। न्यायालय को दोनों पक्षों की आय, विवाह के दौरान आचरण, उनकी व्यक्तिगत सामाजिक और वित्तीय स्थिति, प्रत्येक पक्ष के व्यक्तिगत व्यय, अपने आश्रितों को भरण-पोषण करने की उनकी व्यक्तिगत क्षमता और कर्तव्य, विवाह के दौरान पत्नी द्वारा प्राप्त जीवन की गुणवत्ता, विवाह की अवधि और ऐसे अन्य समान कारकों जैसे कारकों पर विचार करने की आवश्यकता है। न तो अपीलकर्ता-पति और न ही प्रतिवादी-पत्नी ने अपनी संपत्ति और देनदारियों का विवरण प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय , भागलपुर के समक्ष दाखिल किया है और पूर्वोक्त पहलुओं का आकलन किए बिना, एक तुच्छ तरीके से, प्रतिवादी-पत्नी को 15 लाख रुपये का स्थायी गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया गया है, जो कानून की नजर में टिकने योग्य नहीं है। स्थायी गुजारा भत्ता देने का निर्देश दोनों पक्षों की सामाजिक, वित्तीय स्थिति का आकलन करने के बाद दिया जाना चाहिए और साथ ही **(2021) 2 एससीसी 324 में रजनीश बनाम नेहा** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में पति या पत्नी पर होने वाले दायित्वों के बोझ को भी ध्यान में रखना चाहिए, जिसे **(2023) एससीसी ऑनलाइन एससी 1451** में रिपोर्ट किए गए **अदिति उर्फ मिथी बनाम जितेश शर्मा** के साथ पढ़ा जाए, जिसे **2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 3678** में रिपोर्ट किया गया है।

24. जैसा भी हो, 1955 के अधिनियम की धारा 25 में यह परिकल्पना की गई है कि पत्नी तलाक के आदेश के बाद भी स्थायी गुजारा भत्ता देने के लिए कार्यवाही शुरू कर सकती है। इसलिए, आदेश पारित होने के

साथ ही न्यायालय पद-कार्य निवृत्त नहीं हो जाता है और उसके बाद भी गुजारा भत्ता देने का अधिकार उसके पास बना रहता है।

25. तदनुसार, हम स्थायी गुजारा भत्ते की राशि तय करने के संबंध में मामले को विद्वान प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय , भागलपुर के पास वापस भेजना उपयुक्त और उचित समझते हैं। निम्न न्यायालय से अपेक्षा की जाती है कि वह अपीलकर्ता-पति और प्रतिवादी-पत्नी को निर्देश दे कि वे **रजनीश बनाम नेहा (2021) 2 एससीसी 324** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में अपनी संपत्ति और देनदारियों के बारे में विवरण दाखिल करें, जिसे **अदिति उर्फ मिथी बनाम जितेश शर्मा (2023) एससीसी ऑनलाइन एससी 1451** के साथ **प्रवीण कुमार जैन बनाम अंजू जैन (2024) एससीसी ऑनलाइन एससी 3678** पढ़ा जाए, के मामले में प्रस्तुत किया गया है और उनकी संपत्ति और देनदारियों का विश्लेषण करने के बाद, निर्णय पारित होने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर स्थायी गुजारा भत्ते के संबंध में उचित आदेश पारित करें। दोनों पक्षों को उपरोक्त मामले के शीघ्र निपटान में सहयोग करने का निर्देश दिया जाता है। किसी भी पक्ष के उपस्थित न होने की स्थिति में कानून के अनुसार उचित आदेश पारित किया जाएगा।

26. उपरोक्त चर्चाओं के मददेनजर, एम.ए. संख्या 402/2021 का निपटारा किया जाता है।

27. लंबित अंतरवर्ती आवेदन (आई.ए.), यदि कोई हो, निपटारा किया जाता है।

(एस. बी. प्रसाद सिंह, न्यायमूर्ति)

(पी. बी. भजंत्री, न्यायमूर्ति)

सगीर/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।